भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 927

(13 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

उत्तर-पूर्व क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थी

927. श्री विनसेंट एच. पाला:

श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान विशेषकर उत्तर प्रदेश और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की राज्य-वार और जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) विशेषकर उत्तर प्रदेश और मेघालय में आवंटित किए गए आवासों का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है और यदि हां, तो इस लक्ष्य को कब तक हासिल किए जाने की संभावना है तथा सरकार द्वारा इस योजना के लिए वर्ष 2022 में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ड.) क्या पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में अनियमितताएं पाई गई हैं और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और मेघालय सहित पूर्वोत्तर राज्यों में प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए स्वीकृत आवासों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

स्वीकृत मकानों का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा कार्यक्रम की वेबसाइट www.pmayg.nic.in--->AwaasSoft--->Reports--->Houses progress against the target financial year पर देखा जा सकता है।

(ग) और (घ): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च , 2024 तक 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण के समग्र लक्ष्य को मंजूरी दी थी , जिसमें से कुल 2.49 करोड़ आवास स्वीकृत किए गए हैं और 2.10 करोड़ आवासों का कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में , कवरेज बढ़ाने और लक्षित मकानों को पूरा करने के लिए निर्धारित तिथि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अब तक , 08.12.2022 की स्थिति के अनुसार , सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल 33,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

(ङ.): पीएमएवाई-जी के तहत प्रशासन के विभिन्न स्तरों अर्थात् ग्राम पंचायत , ब्लॉक, जिला और राज्य में एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है।

माननीय संसद सदस्यों , राज्य विधान सभा सदस्यों और आम लोगों द्वारा सीधे या सीपीजीआरएएम के माध्यम से सूचित अनियमितताओं के मामलों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है।

पीएमएवाई-जी की शुरुआत से अर्थात 01.04.2016 से 08.12.2022 तक, ग्रामीण विकास मंत्रालय में पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में अनियमितताओं से संबंधित कुल 1,451 शिकायतें सीपीजीआरएएमएस पर प्राप्त हुई हैं। चूंकि राज्य सरकार पीएमएवाई-जी को लागू करती है , अत: आवश्यक कार्रवाई करने और इस मंत्रालय को सूचित करने के लिए इन शिकायतों को राज्य को भेज दिया गया है। कुल 1,451 शिकायतों में से 1,413 का निपटान किया जा चुका है।

*****

अनुबंध

पूर्वोत्तर क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभर्थियों के संबंध में लोक सभा में दिनांक 13.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 927 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित विवरण

विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और मेघालय सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र/राज्यों में पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान पात्र लाभार्थियों के लिए स्वीकृत आवासों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

(इकाई संख्या में)

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**वर्ष 2019-20 में स्वीकृत आवासों की संख्या**	**वर्ष 2020-21 में स्वीकृत आवासों की संख्या**	**वर्ष 2021-22 में स्वीकृत आवासों की संख्या**	**वर्ष 2022-23 में स्वीकृत आवास (08.12.2022 तक)**
1	**अरुणाचल प्रदेश**	**2,135**	**19,064**	**11,058**	**2,418**
2	**असम**	**1,79,844**	**1,50,043**	**2,16,450**	**6,86,512**
3	बिहार	10,44,038	6,25,578	9,05,295	1,20,346
4	छत्तीसगढ़	1,51,115	1,57,787	372	1,290
5	गोवा	53	32	47	9
6	गुजरात	1,01,392	21,419	1,08,024	1,665
7	हरियाणा	114	61	3,326	3,861
8	हिमाचल प्रदेश	1,038	4,001	2,734	720
9	जम्मू और कश्मीर	38,641	64,186	56,268	4,605
10	झारखंड	3,02,109	3,62,055	3,90,838	845
11	केरल	738	3,335	12,675	1,252
12	मध्य प्रदेश	3,78,429	7,56,830	4,82,104	7,39,797
13	महाराष्ट्र	2,48,570	2,94,316	1,19,451	2,13,635
14	**मणिपुर**	**167**	**17,881**	**1,738**	**6,937**
15	**मेघालय**	**10,971**	**26,516**	**3,361**	**3,926**
16	**मिजोरम**	**2,430**	**7,017**	**0**	**4,843**
17	**नागालैंड**	**615**	**4,706**	**9,834**	**3,573**
18	ओडिशा	5,48,263	2,90,518	3,432	2,557
19	पंजाब	8,126	1,887	11,698	3,060
20	राजस्थान	3,76,072	2,70,390	3,88,408	4,550
21	**सिक्किम**	**0**	**0**	**282**	**10**

22	तमिलनाडु	93,272	1,17,351	2,38,003	19,689
23	त्रिपुरा	**22,535**	**992**	**1,57,287**	**43,295**
24	**उत्तर प्रदेश**	**1,78,191**	**7,28,601**	**4,35,046**	**58,027**
25	उत्तराखंड	32	47	15,415	4,195
26	पश्चिम बंगाल	9,62,675	9,41,902	1,66,967	5,113
27	अण्डमान और निकोबार	939	402	0	6
28	दादरा और नगर हवेली	0	99	16	11
29	दमन और दीव	0	0	33	0
30	लक्षद्वीप	0	0	0	0
31	आंध्र प्रदेश	2,306	1,819	0	1,13,405
32	कर्नाटक	1,000	36,730	3,978	1,040
33	लद्दाख	379	200	477	1
	कुल	**46,56,189**	**49,05,765**	**37,44,617**	**20,51,193**

*****